

सं. डब्ल्यू-02/0015/2021- डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-V/2023

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन  
ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 16th मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- दिव्यांगजनों से संबंधित 50 प्रतिशत/35 प्रतिशत सीलिंग में से दुगुना/अतिरिक्त परिवहन भत्ता – लागू होने की तिथि से।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 21.02.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के लागू होने की तिथि 21.02.2022 है।

2. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के ध्यान में लाएं।

(नरेश कुमार)

अवर सचिव

दूरभाष: 2636 6820

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों में वित्तीय सलाहकार।
4. व्यय विभाग, ई-III-ए, शाखा, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ईओ प्रभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(नरेश कुमार)

अवर सचिव

दूरभाष: 2636 6820